हरिभूमि
विंध्य भूमि
सतना | छतरपुर | रीवा | सिंगरौली | पन्ना
जबलपुर, सोमवार 20 मई 2024
login : www.haribhoomi.com

खबर संक्षेप

पत्रकार इमामुद्दीन को पितृ शोक

सतना। भारतीय नौसेना सेवा पदक से सम्मानित भूतपूर्व लीडिंग सी मैन इंडियन नेवी एवं सेवानिवृत्त कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग रियाजुद्दीन सिद्दीकी का 81 वर्ष की आयु में गत दिवस निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे। हृदय रोग से पीड़ित होने पर उनका उपचार दिल्ली के बड़े निजी अस्पताल से कराया जा रहा था। श्री सिद्दीकी मूल रूप से रामनगर के रहने वाले थे। आपके पिता स्वर्गीय सिराजुद्दीन सिद्दीकी तीन बार लगातार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित सहायक पुलिस महानिरीक्षक थे। वर्तमान में श्री सिद्दीकी बांधवगढ़ कॉलोनी सतना में सपरिवार रह रहे थे। परिवार में बड़े पुत्र इमामुद्दीन सिद्दीकी मध्य प्रदेश शासन जनसंपर्क विभाग द्वारा अधिमान्य पत्रकार हैं।

किसानों से 31 मई तक होगा चना,मसूर और सरसों का उपार्जन

सतना। जिले के किसानों से रबी विपणन वर्ष 2023-24 में प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत चना,मसूर एवं सरसों की खरीदी निर्धारित उपार्जन केंद्रों पर की जा रही है। चना,मसूर और सरसों के उपार्जन का कार्य 31 मई तक जारी रहेगा। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि शासन द्वारा चना 5 हजार 440 रुपये प्रति क्विंटल,मसूर 6 हजार 425 रुपये प्रति क्विंटल एवं सरसों 5 हजार 650 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। शासन के निर्देशानुसार सभी उपार्जन केन्द्रों पर किसानों की सुविधा को देखते हुये शुद्ध पेयजल,छायादार बैठने के स्थान,सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि वे उपार्जन केन्द्रों या कियोस्क अथवा स्वयं द्वारा अपनी सुविधानुसार स्लॉट बुक कर अपनी उपज का विक्रय शासकीय उपार्जन केन्द्रों पर करें।

यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण के लिये बना है पॉक्सो अधिनियम

सतना। यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण देने के उद्देश्य से पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट (पॉक्सो) अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2012 में पॉक्सो एक्ट-2012 के नाम से बनाया है। इस कानून के अन्तगत नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीडन, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड-छाड के मामलों में कार्रवाई की जाती है।इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा निर्धारित है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। पॉक्सो कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चों के माता-पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, उनकी उपस्थित में होती है। वर्ष 2012 में पॉक्सो कानून के लागू होने के बाद वर्ष 2020 में पॉक्सो अधिनियम में कई अन्य संशोधन के साथ ऐसे अपराधों में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है।

जल्दबाजी के चक्कर में जान जाते जाते बची

कटनी। मुड़वरा रेलवे स्टेशन में एक यात्री की जान जाते जाते बची। दरअसल यात्री चलती ट्रेन में दौड़ कर चढ़ने का प्रयास कर रहा था तभी उसका पैर फिसल गया और व प्लेटफार्म के नीचे चला गया। घटना के बाद उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 11450 वैष्णों माता कटरा से जबलपुर की ओर आने वाली एक्सप्रेस गाड़ी मुड़वारा स्टेशन के प्लेट फार्म नंबर पांच पर सुबह 9 बजकर 10 मिनिट पर आई थी। गांड़ी छूटने के बाद चलती गाड़ी में भट्टा मोहल्ला निवासी यात्री नारायण पटेल ने चढ़ने का प्रयास किया।

अवैध उत्खनन पर टूटी अफसर की नींद, चार ट्रक पकड़े

सतना

खनिज विभाग के अधिकारियों की टीम ने रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की शिकायतों पर सघन चेकिंग की। खनिज अधिकारियों को नागौद क्षेत्र से ट्रकों में अवैध रूप से उत्खनित रेत बिना टीपी ले जाए जाने की सूचना मिली थी जिसके आधार पर खनिज अधिकारियों ने पुलिस के साथ नाकाबंदी करके चार ट्रकों में लाई जा रही अवैध रेत को जब्त कर लिया।

खनिज अधिकारियों ने इन ट्रकों का पुलिस टीम के साथ नागौद से पीछा किया। पुलिस के मुताबिक ट्रकों में रेत कई टन ओवर लोड पाई गई। ट्रक चालक जब कोलगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत घुसकर नो इंट्री की ओर से भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस टीम ने घेराबंदी करके खनिज अधिकारियों के साथ ट्रकों को पकड़कर कोलगवां थाना में खड़ा करा दिया। कोलगवां पुलिस के मुताबिक खनिज विभाग के अधिकारियों ने इन चारों ट्रकों को खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामले में पकड़कर सुरक्षा की दृष्टि से थाना में खड़ा करवाया है। खनिज विभाग के अधिकारी प्रकरण बनाकर कलेक्टर के न्यायालय में पेश करेंगे। जिस पर कलेक्टर द्वारा अर्थदंड अधिरोपित करने के उपरांत इन वाहनों को छोड़े जाने का आदेश दिया जाएगा। जिसके आधार पर पुलिस जब्तशुदा ट्रकों को खनिज विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सुपुर्दगी में दे देगी।

आरपीएफ टीआई में बचाई महिला की जान

मैहर। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की निरीक्षक आदित्य निगम ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए महिला की जान बचाई। आपको बताने की रविवार की दोपहर से एक महिला जिसका नाम कुसमा कोल उम्र 34 साल को रक्त की अत्यंत आवश्यकता थी। जिसकी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से कई ग्रुप में दी गई। सूचना को पढ़ते ही आदित्य निगम जो मैहर आरपीएफ थाना में निरीक्षक के पद में पदस्थ हैं। आदित्य निगम ने तत्परता से फोन करते हुए रक्तदान करने की स्वेक्षा जाहिर की। और 15 मिनट में मैहर सरकारी अस्पताल में पहुंच कर महादान करते हुए रक्तदान करते हुए महिला की जान बचाई और समाज के लिए एक मिसाल कायम करते हुए एक पैगाम दिया,कि रक्तदान करने से कोई कमजोर नहीं होता बल्कि और स्वस्थ होता है।

कट्टा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाले आरोपी गिरफ्तार

सतना। सोशल मीडिया पर कट्टा लहराते हुए वीडियो वायरल करना एक युवक व नाबालिग को महंगा पड़ा। कोलगवां पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोलगवां थाना प्रभारी सुदीप सोनी के मुताबिक सोशल मीडिया पर कट्टा लहराते हुए रील बनाकर डालने पर इसे संज्ञान में लेकर जांच कार्रवाई की गई। थाने की पुलिस ने मौके पर जाकर तफ्तीश की। पूछतांछ में यह बात सामने आई कि टपरिया बस्ती निवासी आशीष मिश्रा पुत्र हरिशंकर मिश्रा 19 वर्ष ने सोशल मीडिया पर रील बनाकर डालने वालों को लोकप्रियता के चक्कर में खुद भी रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का फैसला किया। उसने इस काम में उसी बस्ती के एक नाबालिग लड़के को भी शामिल कर लिया। आशीष मिश्रा इस वीडियो में खुद प्रमुख भूमिका निभाते हुए कट्टा हाथ में लेकर दिखाई दे रहा है। जबकि इस रील को नाबालिग द्वारा आशीष के बताने पर बनाया गया है। कोलगवां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत प्रकरण कायम करके न्यायालय में पेश किया। जहां से आशीष मिश्रा को जेल भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा जाएगा।

गैस सिलेंडर से भड़की आग में गृहस्थी हुई स्वाहा

सतना। कोठी थाना अंतर्गत रनेही ग्राम में रविवार सुबह सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। जिसमें गृहस्थी का काफी सामान जलकर खाक हो गया। फायर बिग्रेड एवं ग्रामीण जनों ने भारी मशक्कत के बाद जूझते हुए आग पर काबू पाया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रनेही निवासी नरेन्द्र तिवारी उर्फ बबलू 65 वर्ष के घर पर सुबह जब भोजन बनाया जा रहा था तभी गैस लीकेज के चलते सिलेंडर में आग पकड़ गई। देखते ही देखते आग के शोले पूरे कमरे में फैल गए। भोजन बना रही महिला ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। संयोग से उस समय जहां भोजन पकाया जा रहा था वहां महिला के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं था। इस दुर्घटना में इस गरीब परिवार का रुपए और कपड़े,अनाज आदि सामग्री जलकर नष्ट हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना की सूचना मिलने पर आसपास के ग्रामीणजनों ने मौके पर पहुंचकर कुआं, ट्यूबवेल से आग पर पानी फेकना आरंभ कर दिया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी फायर बिग्रेड को दी। जिस पर कुछ देर बाद फायर बिग्रेड भी घटना स्थल पर पहुंच गई। ग्रामीणों के साथ फायर बिग्रेड के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया। करीबन ढाई घंटे से अधिक समय तक जूझते हुए आग बुझा दी। पुलिस के मुताबिक घटना की जानकारी तहसीलदार एवं एसडीओ को भिजवायी जा रही है।

एग्जिट पोल एवं परिणाम का प्रकाशन या प्रचार एक जून तक पूर्णतः प्रतिबंधित

सतना। लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान एक जून की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर पूर्णतयाः प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर भी पूर्णतयाः प्रतिबंध रहेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम -1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति,कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान,जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए,प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा,तो वह ऐसी अवधि के कारावास से,जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से,दण्डनीय होगा।

सूरज की तपिश से दिन और रात हुए गर्म, पारा 43 डिग्री के पार

सतना

भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है दिन और रात गर्म हो गए हैं पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। पिछले एक सप्ताह से मौसम लगातार गर्म होता जा रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो गुरुवार को अधिकतम तापमान 42.0, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री,शनिवार को अधिकतम तापमान 42.6 और रविवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते जहां पश्चिमी मप्र में हल्की बारिश के अनुमान है। वहीं सतना जिले में तेज गर्मी से फिलहाल राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 से तीन दिन तक इसी तरह गर्मी रहेगी और पारा 44 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है।

धूप और लू से बचाव की सलाह

गर्मी के मौसम में आमजनों को लू से बचाव की सलाह दी गई है। लू से बचने के लिए जन सामान्य ज्यादा समय तक घर पर ही रहें। दिन में 10 बजे के बाद गर्म हवाओं का प्रकोप हो जाता है।आमजन अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलते समय पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। खाली पेट घर से बाहर न जायें। इससे लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। दिन में कम से कम 12 से 15 गिलास पानी जरूर पियें। लू से बचाव के लिए देशी घरेलू उपाय अपनाएं। बाहर निकलते समय सूती कपड़े से चेहरा और सर ढककर रखें तथा पानी साथ में जरूर रखें।पहनने के लिए सूती कपड़ों का अधिक उपयोग करें। लू से बचने के लिए खरबूज,तरबूज,ककड़ी,खीरा,आदि मौसमी फलों का सेवन करें। बेल,सौफ,हरा पुदीना,धनिया आदि के शर्बत तथा छाछ के उपयोग से भी लू से बचाव होता है। अगर लू के लक्षण जैसे मिचली आने,गला सूखने तथा बुखार का प्रकोप होने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करके उचित उपचार करायें।

सीवर लाइन की अव्यवस्थित खुदाई से व्यापारी परेशान : पवन

सतना। शहर के विकास को लेकर किया जा रहा सीवर लाइन का कार्य भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है,लेकिन उसके अनियमित काम करने की वजह से स्थानीय व्यापारियों और निवासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिना सूचना के कहीं भी खोद कर बिना समय सीमा के गड्ढों की फिलिंग नहीं की जा रही है,जिससे यातायात में अधिक अवरोध और व्यवसायों को नुकसान हो रहा है। व्यापारी संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मलिक ने बताया कि पूरे बाजार क्षेत्र में धूल और मिट्टी का प्रकोप है।

रेडीमेड,कपड़े,जूते,खिलौने,इलेक्ट्रॉनिक,डेकोरेटिव आइटम,आदि समय से पहले ही डेड स्टॉक में जा रहे हैं। किराना और खानपान की वस्तुएं दूषित हो रही हैं,जिससे ग्राहकों की संख्या में कमी आ गई है। इन हालातों के कारण व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। साथ ही लोगों की सेहत पर धूल मिट्टी से होने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। इसके अलावा,गड्ढों में आए दिन लोगों की गाड़ियां फंस जाती हैं,जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है और जान-माल का खतरा बढ़ गया है। यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इन समस्याओं के विरोध में व्यापारी संघ कैट (कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स) के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मलिक ने कहा कि सीवर लाइन का काम सुचारू और सुरक्षित ढंग से किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों और व्यापारियों को राहत मिल सके। पवन मलिक ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे शीघ्रता से इन समस्याओं का निराकरण करें और शहर को इन परेशानियों से मुक्त कराएं।

वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य शिविर आज

सतना

राष्ट्रीय वृद्ध जन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तर पर वृद्ध जनों का स्वास्थ्य परीक्षण, जांच-उपचार एवं परामर्श के लिए 20 मई 2024 को प्रातः 9 बजे से जिला चिकित्सालय सतना में ट्रामा सेंटर, भूतल, माड्युलर ओटी के पास स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन तथा आरएमओ द्वारा शिविर में मेडीकल कालेज और चिकित्सालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें आर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉ.सुजीत मिश्रा, नाक,कान,गला डॉ. कार्तिकेश गुप्ता,एमडी कम्युनिटी मेडीसीन डॉ.प्रियंका खाटवानी, डेंटिस्ट डॉ.सपना सिंह,नेत्र रोग डॉ.रजनीश ,साईकेट्रीस्ट डॉ.धीरेन्द्र मिश्रा,फिजियोथेरेपिस्ट डॉ.मोहम्मद अशरफी,नर्सिग आफीसर श्रीमती मिथलेश गौतम,श्रीमती अर्चना विश्वकर्मा तथा श्रीमती दिव्या मिश्रा,फार्मसिस्ट डॉ.अजीत सिंह,लैब टेक्नीशियन दीपक चौधरी,नेत्र रोग सहायक कुलदीप कोल,लैब अटेन्डेंट मो.इमरान खान,आयुष्मान कार्ड अभय विश्वकर्मा तथा वार्ड ब्याय घनश्याम सोनी की ड्यूटी लगाई गई है।

सीमांकन प्रकरणों के निपटारे में ढ़ीमरखेड़ा तहसील निरंतर अग्रणी

कलेक्टर के निर्देश पर सीमांकन के 13 सौ से अधिक प्रकरणों का निराकरण

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर जिले में लंबित सीमांकन प्रकरणों के निराकरण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान में दिन-ब-दिन तेजी आई है। मैदानी राजस्व अमला और राजस्व अधिकारियों की सकारात्मक सोच और किसानों की मदद के भाव से किये गए प्रयासों की वजह से अभियान के दौरान जिले में अब तक 1 हजार 357 सीमांकन प्रकरण निपटाये जा चुके है। सीमांकन के लंबित प्रकरणों के निराकरण मे बेहतर कार्य करनें वाले पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों को कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया जा रहा है।

कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा राजस्व अधिकारियों को आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज लंबित सीमांकन प्रकरणों को समय-सीमा में प्राथमिकता से निराकृत करने के निर्देश दिए गये थे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि

वर्तमान में खेतों से फसल की कटाई हो जाने से खेत खाली है। जिससे सुविधाजनक ढंग से सीमांकन कार्य किया जा सकता है। कलेक्टर के निर्देश के बाद जिले में सीमांकन प्रकरणों के निराकरण की दिशा में हुई कारगर पहल की वजह से इसके निराकरण में तेजी आई है।

तहसील ढ़ीमरखेड़ा अग्रणी

कलेक्टर के निर्देश के बाद सीमांकन प्रकरणों के निराकरण के मामले में जिले की तहसीलों में ढ़ीमरखेड़ा तहसील 236 सीमांकन प्रकरणों का निराकरण कर निरंतर अव्वल स्थान पर है। जबकि कटनी नगर 166 मामलों के निपटारे के साथ दूसरे स्थान पर है और बरही तहसील ने 146 सीमांकन प्रकरणों का निपटारा कर तीसरे पायदान पर है। इसी प्रकार स्लीमनाबाद तहसील द्वारा चौथे स्थान में रहकर 138 सीमांकन प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है। वहीं विजयराघवगढ़ तहसील एवं बहोरीबंद तहसील द्वारा संयुक्त रूप से 137-137 प्रकरणों का निराकरण कर जिले में पांचवे स्थान पर है। जबकि तहसील रीठी द्वारा छठे नंबर पर रहकर अब तक कुल 136 सीमांकन प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। वहीं जिले की बड़वारा तहसील द्वारा 134 सीमांकन प्रकरण निपटाकर सातवे स्थान पर और कटनी तहसील 127 सीमांकन प्रकरण के निपटारे के साथ आठवें पायदान पर है।

कलेक्टर कर रहे प्रकरणों की समीक्षा

कलेक्टर श्री प्रसाद और अपर कलेक्टर साधना परस्ते द्वारा सीमांकन प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा की जाकर राजस्व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये जा रहे है। सीमांकन प्रकरणों के निपटारे में आई तेजी की वजह से बड़ी संख्या में किसान भाइयों से सीमांकन के आवेदन प्राप्त हो रहे है।

कलेक्टर के निर्देश पर संचालित विशेष अभियान के तहत निराकृत सीमांकन प्रकरणों के प्रति किसानों का भरोसा बढ़ा है। निराकृत प्रकरणों का आर.सी.एम.एस. पोर्टल में दर्ज मामलों पर किसान भी खुश है।

विद्युत सुरक्षा कि लिये आमजन सावधानियाँ जरूर बरतें

सतना

मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने आमजनों से अपील की है कि वे गर्मी के मौसम में विद्युत संबंधी उपकरणों के प्रचालन में अतिरिक्त सावधानी बरतें। कंपनी ने कहा है कि अनावश्यक विद्युत लाइनों, उपकरणों एवं खंभों से छेड़खानी करना जान पर भारी पड़ सकता है, वहीं विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत ऐसा करना दंडनीय अपराध है। बिजली के उपकरणों,केबल से जरा-सी असावधानी या छेड़खानी करने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं।ऐसी लाइनें जिनमें विद्युत शक्ति प्रवाहित होती है यदि आंधी,तूफान या अन्य किसी कारण से नीचे आ गई हैं तो उन्हें अकस्मात छूकर खतरा मोल न लें। यदि लाइन टूट गई है तो इसकी सूचना शीघ्र ही निकटस्थ बिजली कंपनी के अधिकारी को अथवा विद्युत कर्मचारी को दें। जब तक कोई नहीं आता है,तब तक वहां निगरानी रखें,ताकि अंजाने में कोई अन्य व्यक्ति टूटे तार को छुए नहीं। विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि नये घर बनाते समय विद्युत पारेषण अथवा वितरण लाइन से समुचित दूरी रखें। यह कानून की दृष्टि से भी आवश्यक है। उचित फासले के विषय में स्थानीय बिजली कंपनी के अधिकारी से सलाह जरूर लें ताकि सुरक्षा बनी रहे। विशेष रूप से खेतों खलिहानों में ऊँची-ऊँची घास की गंजी,कटी फसल की ढेरियाँ,झोपड़ी,मकान अथवा तंबू आदि विद्युत लाइनों के नीचे अथवा अत्यंत समीप न बनायें। विद्युत लाइनों के नीचे से अनाज,भूसे आदि की ऊँची भरी हुई गाड़ियाँ न निकालें,इससे आग लगने एवं प्राण जाने का खतरा है। बिजली के तारों पर कपड़े आदि डालना दुर्घटना को निमंत्रण देना है। अपने खेत खलिहान पर या संपत्ति की सुरक्षा हेतु अवरोधक तारों (फेनिंसग वायर्स) में विद्युत प्रवाहित न करें। यह कानूनी अपराध भी है। इस प्रकार अवैध तरीके से विद्युत का उपयोग करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।बिजली के खंभों या स्टे-वायर से जानवर आदि न बांधे और न ही इससे जानवरों को रगड़ने दें। इससे जनधन की हानि हो सकती है।

खबर संक्षेप

खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग

गुनौर । गुनौर थाना क्षेत्र के पूरेना गांव में रविवार दोपहर घर में खाना बनाने के दौरान गैस सिलिंडर में आग लग गयी. आग की लपटें इतनी तेज थी कि पुरे घर को अपने चपेट में ले लिया मिली जानकारी के अनुसार पूरेना निवासी अशोक चौधरी के घर में खाना बन रहा था . इसी दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गयी. हालांकि इस अगलगी की घटना में जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है. घर में आग लगने पर ग्रामीणों ने आग बुझाने में काफी मशक्कत की. आग की लपटें तेज होने के कारण अग्निशमन एवं गुनौर 100 को सूचना दी गयी. घटना के कुछ देर बाद ककरहटी अग्निशमन दल मौके पर पहुंचकर कर्मी रजा मोहम्मद एवं उनका साथी डाल 100 चालक पुरुषोत्तम लखेरा , आरक्षक 507 वीरन यादव आदि ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया. गृहस्वामी के मुताबिक अगलगी की घटना से घर गृहस्ती का सामान जलकर राख हो गया1

रुक जाना नहीं योजना अंतर्गत परीक्षाएं 20 मई से

दमोह। जिला शिक्षा अधिकारी एस.के. नेमा ने बताया रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत परीक्षाएं 20 मई 2024 से प्रारंभ हो रही है। जो विद्यार्थी परीक्षा के एक दिन पूर्व दमोह पहुंचकर रूकना चाहते हैं, उनके लिए रुकने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया छात्राओं हेतु शासकीय जे.पी.बी. कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलिस कोतवाली के पास दमोह में रूकने की व्यवस्था की गई है। छात्रायें जानकारी हेतु प्राचार्य डी के मिश्रा के मो.नं. 8103262369 एवं अनीता गौतम वार्डन के मो.नं-9630627185 पर संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार छात्रों को रुकने की व्यवस्था शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय दमोह के नवीन बालक छात्रावास में की गई है। छात्र प्राचार्य एस एल अहरवाल 9893918968, वार्डन शैलेंद्र दुबे 8839003439 से संपर्क स्थापित कर सकते है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया प्राचार्यो को निर्देशित किया गया है कि संबंधित विद्यार्थियों को ग्रुप के माध्यम से मैसेज भेजकर अवगत कराया ये।

द्वारिका के राजमहला में भव्यता से हुआ था श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह : पं रवि शास्त्री

दमोह। स्थानीय तीन गुल्ली पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छटवें दिवस में कथा वाचक आचार्य पंडित रवि शास्त्री महाराज ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण श्रीहरि विष्णु का अवतार थे तो देवी रुक्मिणी महालक्ष्मी का अंशावतार थी रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थीं वह दिखने में बहुत ही सुंदर बुद्धिमान और स्वभाव की सरल कन्या थीं राजा भीष्मक के दरबार में जो कोई आता वह भगवान श्रीकृष्ण के साहस और बुद्धिमता की तारीफ करता रुक्मिणी बचपन से कई लोगों के मुख से कृष्ण की तारीफ सुनती आ रही थीं इस कारण भगवान के चरणों में उन्हे प्रेम हो गया था राजा भीष्मक ने अपने पुत्र रुक्मी के कहने पर रुक्मिणी का विवाह चेदिराज शिशुपाल से तय कर लिया था रुक्मी शिशुपाल का खास मित्र था इसलिए वह अपनी बहन का विवाह उससे कराना चाहता था दूसरी ओर रुक्मिणी भले ही श्रीकृष्ण से कभी नहीं मिली थीं लेकिन वह महालक्ष्मी का अंशावतार थी ओर भगवान श्रीकृष्ण की नित्य पत्नी थी इसलिए उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं आया रुक्मिणी और शिशुपाल के विवाह की तारीख तय हो गई रुक्मिणी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं रुक्मिणी ने ठान लिया कि वह विवाह सिर्फ श्रीकृष्ण से करेंगी नहीं तो अपने प्राण त्याग कर देंगी उन्होंने अपनी एक सखी के माध्यम से श्रीकृष्ण को संदेश भिजवाया रुक्मिणी ने संदेश में कहलवाया कि वह उनकी नित्य पत्नी है लेकिन उसका विवाह शिशुपाल से तय हो गया है अगर उसकी शादी कृष्ण से नहीं होगी तो वह प्राण त्याग देंगी जैसे ही कृष्ण के पास संदेश पहुंचा वह चकित रह गए संदेश मिलते ही श्रीकृष्ण विदर्भ पहुंच गए जब शिशुपाल विवाह के लिए द्वार पर आया तभी कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी को पता चला तो वह अपने सैनिकों के साथ कृष्ण के पीछे गया फिर श्रीकृष्ण और रुक्मी के बीच भयंकर युद्ध हुआ।

भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा किया बरामद

पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में आबकारी जिला उड़नदस्ता द्वारा देवेंद्र नगर के वार्ड नम्बर 5 कंजड़ाना (सिसोदिया मुहल्ला) में भारी मात्रा में हाथभट्टी महुआ निर्मित कच्ची शराब, महुआ लाहन और शराब बनाने के उपकरण, बर्तन आदि जप्त किये।

देवेन्द्रनगर।

आबकारी उड़नदस्ता प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय ने बताया कि कई दिनों से मुखबिर के माध्यम से सूचना मिल रही थी, कि देवेंद्रनगर के वार्ड नम्बर 5 सिसोदिया मुहल्ले में कई घरों में हाथभट्टी महुये की कच्ची शराब बनाकर बेची जा रही है। उक्त सूचना की पुष्टि हो जाने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जिला आबकारी उड़नदस्ता द्वारा उक्त स्थान पर टीम बनाकर दबिश दी गयी। जिसमें श्रीमती निर्मला सिंह पति मंगल सिंह उम्र 65 वर्ष के रिहायशी मकान में विधिवत तलाशी ली गयी। इसके साथ ही श्रीमती सिंह पति अनिल कुमार उम्र 60 वर्ष के रिहायशी मकान में भी विधिवत तलाशी ली गयी। उक्त दोनों मकानों में क्रमशः लगभग 25 लीटर हाथभट्टी शराब, 200 किग्रा महुआ लहान, शराब बनाने के उपकरण और बर्तन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 12,000 रुपये , लगभग 40 लीटर हाथभट्टी शराब, 300 किग्रा महुआ लाहन, भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण, बर्तन अनुमानित कीमत लगभग 30,000 रुपये जप्त किये गए। उक्त घरों में तलाशी के दौरान आसपास के लोग घर में ताला लगाकर भाग गए। कुछ लोग अवैध शराब लेकर भाग रहे थे, तो उनका पीछा किया गया तो लगभग 62 लीटर अवैध शराब और लगभग 135 किग्रा महुआ लाहन छोड़ कर भागे। अतः अवैध शराब और लाहन जप्त कर अज्ञात के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा- 34 (1) क एवं च, धारा 49 (क) के पांच आपराधिक प्रकरण दर्ज किया। आबकारी उपनिरीक्षक श्री पाण्डेय ने बताया कि उक्त स्थान पर आगे भी कार्यवाई की जाएगी। इस कार्यवाई में आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय, आबकारी आरक्षक स्मिता ठाकुर, कुलदीप जाटव, नगर सैनिक ओमप्रकाश गोस्वामी, सोहिल खान और सुरेंद्र सोनू बुन्देला शामिल रहे।

वाहन चोरी का एक आरोपी गिरफ्तार, मोटरसाइकिल बरामद

पन्ना। फरियादी रामकृष्ण विश्वकर्मा पिता मिठाईलाल विश्वकर्मा निवासी गुनौर ने 22 अप्रैल 2024 को थाना गुनौर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 21 अप्रैल 2024 को जब वह एक तिलक समारोह में विश्वास पैलेस गुनौर में मोटरसाइकिल से गया हुआ था तभी कार्यक्रम के बाद उसने पाया कि उसके द्वारा रखे हुए स्थान से मोटरसाइकिल गायब है. किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसकी मोटरसाइकिल चुरा कर ले जाए जाने पर उसके द्वारा थाना गुनौर में चोरी की सूचना पुलिस को प्रदाय की गई। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा अज्ञात वाहन चोर की तलाश पतारसी की गई. पुलिस के द्वारा घटना के तत्काल बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया गया किंतु आरोपी शातिर प्रवृत्ति का होने से तुरंत नहीं मिल सका था गुनौर पुलिस के द्वारा आरोपी को पकड़ने के प्रयास लगातार रूप से किए गए। विवेचना के दौरान घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए एवं पुलिस के द्वारा अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके वाहन चोर की तलाश की गई। पुलिस द्वारा किए गए सार्थक प्रयासों के परिणाम स्वरूप उक्त वाहन को चोरी करने वाले व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करके नागोद सतना से दिनांक 19 मई 2024 को आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है एवं चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। पन्ना पुलिस अधीक्षक श्री साई कृष्ण एस थोटा के द्वारा संपूर्ण टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।

महत्वपूर्ण भूमिका - उक्त संपूर्ण कार्यवाही मे निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार थाना प्रभारी गन्नौर के नेतृत्व में प्रधानआरक्षक सुरेश चंद्र पांडे, आरक्षक शिवेंद्र मिश्रा ,आरक्षक शैलेंद्र भलावी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

लटोरिया मोहल्ले में आयोजित श्रीमद्भगवत में माता सती की कथा का हुआ रसपान

पवई।

पूरे क्षेत्र सहित पवई नगर में इन दिनों बैशाख मास को देखते हुए लगातार धार्मिक अनुष्ठान एवं कार्यक्रमों का दौर जारी है। भारतीय हिंदू पंचांग के अनुसार सृष्टि के आरंभ के 15 दिन बाद वैशाख मास का आरंभ होता है। यह पवित्र व्यक्ति को व्यष्टि से समष्टि की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा देता है। पुराणों में इस मास को जप, तप,दान का महीना कहा गया है। वैशाख मास के प्रारंभ होते ही तपिश का वातावरण तैयार हो जाता है। इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से इस माह विशेष में वरुण देवता का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में श्रेष्ठ बताया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, वेदों के समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं,गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं,उसी भांति बैसाख मास के समान कोई महीना नहीं। इसी क्रम में पवई नगर के लटोरिया मोहल्ला में आयोजित श्री मद्भागवत कथा के तृतीय दिवस को माता सती एवं जड़ भरत की कथा का वर्णन किया गया। व्यास जी पंडित श्री रामदुलारे पाठक (वेद व्यकरणाचार्य) द्वारा कथा के बारे में बतलाया गया। जिसको सुनकर श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी दिवस को कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया जायेगा। जिसमें अधिक से अधिक संख्या में श्रोता कथा पंडाल में पहुंचकर धर्म लाभ उठाए। कथा के सफल आयोजन में यजमान पंडित प्रवीण, श्रीमती शीला लटोरिया, डा. सुमन श्रीमती नीलम लटोरिया, प्रमोद, प्रदीप मनोज, मनीष, सनी, ऋषि गुड्डू सहित समस्त लटोरिया परिवार शामिल है।

प्रकृति ने अन्य जिलों की तुलना में समृद्धता दी, हीरा, पत्थर, रेत फिर भी पड़ोसी जिलों की तुलना में विकास में जिला पीछे

राजनीति स्वार्थ परिता स्वयं के विकास को लेकर प्रमुखता वहीं जिले में चोरी का खेल पत्थर हो या रेत, हीरे में भी बड़ा खेल

पन्ना।

अब कैसे विकास को लेकर आम आदमी के लिए हो पहल जिम्मेदार ही मजबूर, जनप्रतिनिधियों की सोच अन्य जिलों की तुलना में स्वयं ऑकलन में अपने तक

जिले में विकास को लेकर आज वर्तमान समय में अपने पड़ोसी जिलों से ही तुलना की जाये तो पन्ना जिला पीछे माना जा रहा है। शिक्षा हो स्वास्थ्य या फिर उद्योग या यातायात संसाधनों में रेलवे हो या अन्य विकास की उद्योग की दास्ता। पन्ना जिला पड़ोसी जिलों से विकास के क्षेत्र में पीछे होने को लेकर अभी भी दंश के रूप में अपनी आप बीती दास्ता को लेकर झेल रहा है। स्टेट का जिला पन्ना जहां प्रकृति ने भरपूर संमृद्धता प्रदान की है। यहां तक इस जिले में कुछ क्षेत्र में हीरे रूपी बहुमूल्य रत्न का पाया जाना अपने आप में जहों दुनिया में पन्ना को प्रसिद्धता के लिए पहचान दिलाई वहीं पत्थर का उद्योग भी यहां कभी जाना जाता था जो आज महज कुछ क्षेत्र में सिमट कर रह गया वह भी चोरी छुपे जैसे हालात इतना ही नहीं यहां रेत का कारोबार भी अपने आप में सुमार है। जो चोरी को लेकर अपनी ही जिले में बहने वाली केन नदी से रेत की सुरक्षा नहीं की जा पा रही। साथ ही इन सबके पीछे कहीं न कहीं राजनैतिक दृढ़ता या सोच जो अपने जिले को विकास के लिए दिशा देती है वह अन्य जिलों से यहां भिन्न नहीं। क्योंकि यहां की सोच राजनीति में स्वयं को स्थापित करके प्राथमिकता के तौर पर अपने विकास तक सीमित माना जाता है। वहीं आम जनता गौण हो जाती है। कहने को तो इस जिले में प्रकृतिक सम्पदा में और भी आपार वन सम्पदा को लेकर भी यह जिला अन्य जिलों की तुलना में आगे है यहां का सागौन अपने आप में जाना जाता है। तेंदूपत्ता में भी पन्ना जिला कहीं न कहीं काफी हद तक सफलता के आयाम तय करता है साथ ही आंवले को लेकर भी इस जिले में प्रचुर मात्रा इन सब स्थितियों के बावजूद पन्ना जिला विकास में पीछे है। पड़ोसी जिलों की तुलना में यहां तो भगवान भरोसे हालात हो रहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य साथ ही अन्य व्यवस्थायें भी कहीं न कहीं अब मजबूर हालात को लेकर जानी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विकास के नाम पर भले ही योजनाओं का क्रियान्वयन माना जा रहा। वह सरकार व सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी मानी जाती है आम जनता अपने आपको दूरी बनाकर रखती है जबकि विकास हम आप सबके लिए है योजनाओं को लेकर है पर जिन योजनाओं में सीधा लाभ लोगों को मिलता है वहीं तक लाभ लेने की कोशिश होती है बांकी सार्वजनिक विकास से आम जनता अपने आप को दूर रखती है यही वजह की बड़े सार्वजनिक कार्य भ्रष्टाचार की बली चढ़ जाते है। स्टेट का जिला गुलामी जैसी सोच को लेकर आज भी चलने के लिए विवस व मजबूर है। आखिर तभी तो पड़ोसी जिलों की तुलना में विकास कोसो दूर है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य यहां तो हालात दयनीय है। जनप्रतिनिधियों की बात करें तो चुनावी समय में भले ही क्षेत्र की जनता से वादे होते है पर जब वादे के बाद इरादे सफल हो जाते है तो फिर जनता अपने आप में भोगती रहती है। जनप्रतिनिधि कभी कभार सुध ले लेते यही बड़ी कृपा मानी जाती है। आखिर पन्ना जिला प्राकृतिक रूप से जहां बहुमूल्य रत्न हीरा मिलने के बावजूद भी गरीबी जैसे हालात में वहीं यहां का पत्थर का उद्योग भी दम तोड़ चुका। साथ ही रेत के खेल में भी दूसरे जिलों के लोग लाभ उठा रहे है। आम जनता को रेत भी मंहगी लेना मजबूरी है। आखिर पानी की बात करें तो वह भी वह पन्ना को कितना मिल पायेगा केन नदी से वह अब आने वाले समय में स्वयं ही हालात बयां करेगें क्योंकि अभी भी जो केन नदी डबरों में तब्दील हो गई है इसके बाद भी जो डेम ढ़ोढन गांव के पास बनाकर केन का पानी बेतवा नदी तक पहुंचाने की योजना जहां बुन्देलखण्ड को सूखे से तथा पेयजल की समस्या से उबारने के लिए उचित माना जा रहा। पर पन्ना जिला को क्या लाभ होगा यह तो वक्त ही तय करेगा। जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष के तो पड़ोसी जिलों के लिए योजना का लाभ दिलाने के लिए सत्ता के साथ वहीं विपक्ष दम तोण चुका इन परिस्थितियो के चलते अब आने वाला समय संकट को लेकर और भी जाना जायेगा। यहां स्वास्थ्य के नाम पर जमीनी स्थिति दयनीय। वहीं शिक्षा व्यवसाय की ओर तथा रेत पत्थर, हीरा में चोरी का खेल अब विकास को लेकर अब तक यहां क्या हुआ यह सामने है जो भी हुआ तत्कालीन कलेक्टरों की सोच जरूर कुछ हद तक देखने को मिली। जनप्रतिनिधि इसमें पीछे रहे अब देखना यह है कि यहां का युवा पन्ना जिले के विकास को लेकर आगे बढ़ेगा की नहीं।

जागने लगे ग्रामीण शासकीय तालाब को अतिक्रमण से बचाने के लिए जिला मुख्यालय तक गुहार

एस.डी.एम. को जिले से जिम्मेदारी, अब देखना यह है कब आती है कार्यवाही की बारी

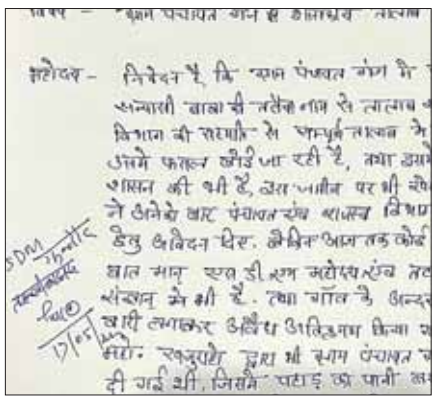

पन्ना।

सार्वजनिक व्यवस्था पेयजल को लेकर तालाब गांव हो या शहर बनाये गये प्राचीन समय आज हालात कुछ बदल गये अब सार्वजनिक तालाब अतिक्रमणकारियों की चपेट में आ गये। पर देर ही सही अभी भी वह दिन दूर नहीं जब जनता इन सार्वजनिक व्यवस्था के तालाबों को कुछ निहित स्वार्थी अतिक्रमणकारियों से तालाबों को मुक्त कराने के लिए स्वयं आगे आये है। वह उदाहरण जिले की गुनौर तहसील अंतर्गत ग्राम गंज में जहां एक तालाब में अतिक्रमण करके जोतने की जमीन की दास्ता के विरोध में ग्रामीण जिला मुख्यालय तक पहुंचे जहां अपर कलेक्टर को आवेदन दिया जहां से गुनौर एस.डी.एम. को जिम्मेदारी दी गई तालाब को अतिक्रमणकारी से मुक्त कराने की अब देखना यह है कि आम जनता ने तो अपना काम किया जहां प्रशासन तक तालाब को बचाने के लिए लगभग 40-50 किलोमीटर दूरी तय करके फरियाद सुनाई वहीं आम जनता के हित को ध्यान में रखकर अब गुनौर एस.डी.एम. कब तक ग्राम गंज के इस तालाब को अतिक्रमणकारी से मुक्त करायेगें ताकि आम जनता का विश्वास प्रशासन पर कायम हो आखिर सार्वजनिक तालाब सभी के लिए वहीं पशु पक्षी सभी के लिए पानी की जरूरत फिर ये तालाब अतिक्रमण में कैसे अपना अस्तित्व खो देते है सबसे बड़ा सवाल शासकीय जमीन जहां भी है उस पर माफियाओं की नजर अतिक्रमणकारी आगे आकर अतिक्रमण करते है ताकि उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक मिल जाये। जिससे तालाब जैसी जमीन जो उपजाउ तो होती ही है वहीं पानी की सुविधा भी इसको कैसे छोड़े अतिक्रमणकारी साथ ही स्थानीय प्रशासन की कड़ी पटवारी हल्का से आरंभ होती है जो अतिक्रमणकारी का सहयोग करते है तभी तो अतिक्रमण हो जाते हैं वहीं कार्यवाही में अतिक्रमणकारी बुलंदी के साथ अपना हक मानकर आगे आते है आखिर सार्वजनिक तालाब के जमीन में भी अतिक्रमण कारियों को देने के लिए क्या प्रशासन उचित मान रहा है। या फिर आम जनता के हित के लिए अतिक्रमणकारियों से तालाब की जमीन छुड़ाकर कार्यवाही के साथ आम जनता के लिए पहले जैसे हालात को लेकर कार्यवाही की जायेगी यह तो आगे आने वाला वक्त ही बतायेगा।

इनका कहना है

तालाब को लेकर अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव गहरीकरण कराये जाने के लिए भेजा जा रहा है ताकि तालाब अपने वास्तविक स्वरूप में आ सके और जनहित में सार्वजनिक तालाब बना रहे। आचार संहिता के बाद तालाब की गहरी करण की उम्मीद मानी जा रही है।

राजेश मेहरा
नायब तहसीलदार गुनौर

खरीदी केन्द्र में जिम्मेदार रहते है नदारद, मनमानी के हालात

पन्ना। दलाली एवं रिष्वतखोरी अगर देखना है तो जनबा आइये आप पन्नाजिले के गुनौर में जहॉ पर सरकार की हर योजना को अमली जामा पहनानें के पहले यहां पर दलालों एवं कमीषनखोर भृष्ट अधिकारियों की पौबारह के पांसे फैंकनें की चौपडष्षुरू हो जाती है। अब मामला किसानों की मेहनत की उगाई हुई जिन्स फसल की ही अगर बात कर ली जावे तो यहां पर जुताई बुबाई एवं उसकी गहाई के बाद मेहनत खून पसीनें की उगाई फसल के उचित दाम मिल सकें इसलिए खरीदी केन्द्रों पर किसान अपना गल्ला लाते हैं मगर बेयरहाउस सुंगरहाी का हाल बेहाल है यहां पर सेवा सहकारी समिति पटनातमोली के माध्यम से खरीदी केन्द्र संचालित है जिसके जिम्मेदार का तो पता नहीं मगर उनके पेटी ठेकेदार दीपक चौरसिया सहित अन्य काम कर रहेक हें सर्वेयर भले ही कोई हो मगर काम यही करते हैं तो आखिर कहां है सेवा सहकारी समिति पटनातमोली के समिति प्ंरबंधक? और सर्वेयर यादव जी? वेयर हाउस सुंगरहा में मनमानी खरीदी की अगर बात की जावे तो यहां पर न तो समिति प्रबंधक का अता पता न ही सर्वेयर का यहां भाडे पर सब काम हो रहा है 100 बरूप्या प्रतिबोरा के मान से अच्छे अनाज को खराब कर दिया जाता है अगर जो दे देता है तो उसका माल सही तो फिर मसरी एवं सरसों सहित अन्य जिन्स किसकी खरीदी जा रही है। जिसकी बात की जावे तो यहां पर ज्यादातर व्यापारियों का अनाज तुलाई किया जाता है भले ही वह घटिया किष्म का हो? मगर जिम्मेदारों को क्या। उनका कमीषन तो फिक्स है। जिले के कलेक्टर नें पूर्व में ही किसानों को परेषानी न हो इसके लिए व्यापक प्रबंध कर दिये थे जैंसे पेयजल से सहित छाया एवं किसानों को उचित नियमावली जिससे किसानों को परेषानी न हो मगर यहां पर खरीदीकेन्द्र दलालों के भरोसे संचालित है

मनमानी तुलाई अधिक तौल सहित अन्य अनियमितताओं को किान चिल्ला रहा है मगर अध्किारियों को आनें की फुर्सत हो तब न? बो तो बेचारे ए0सी0 की ठण्डक एवं बंगलों में आराम फरमाते हैं जबकि किसान यहां चिलचिलाती धूप में मनमानेपन का षिकार? बेकार व्यवस्था को पानी पी पी कर कोस रहा है। जबकि यहां दूर दूर तक किसानों को पीनें का पानी तक नहीं है। तो फिर जिला प्रषासन के मायने क्या? अंततः सूबे के मुख्या से आवाम की गुजारिस है कि साहब? ब-अदब मुलाहिजा होषियार करनें के लिए या तो खुद आइये या फिर किसी ईमानदार मुलाजिम मो भेजिये ताकि किसानों के साथ लूट खसोट एवं मनमानी व्यवस्था का तमाचा उनके गाल पर मारकर उनके खून पसीने की उगाई फसल को लहूलुहान न कर सके?

खबर संक्षेप

यात्री प्रतीक्षालय में दिनदहाड़े चल रहा जुआ

छतरपुर। सिविल लाइन थाना अंतर्गत आने वाले शहर के डाकखाना चौराहा पर पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर स्थित यात्री प्रतीक्षालय इन दिनों शराबी, जुआरियों का अड्डा बना हुआ है। वैसे तो यह यात्री प्रतीक्षालय यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में यहां दिन भर शराब के जाम छलक रहे हैं और जुआ भी खेला जा रहा है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों की मानें तो आए दिन शराबी यहां लड़ाई-झगड़ा करते हैं, जिस वजह से यात्री वहां बैठने से डरने लगे हैं। पूरे दिन यहां असामाजिक तत्वों का डेरा जमा रहता है। गौरतलब है कि शहर के बीचों-बीच डाकखाना चौराहा पर पुलिस चौकी के पास स्थित इस यात्री प्रतीक्षालय में अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं और इसके बाद भी पुलिस का ध्यान इस ओर नहीं है।

पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाज को किया गिरफ्तार

छतरपुर। पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देशन में विगत रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान रात्रि करीब 11 बजे सिविल लाइन पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सटई रोड पर गौरैया तिगैला में क्रिकेट मैच में पैसे लगाकर कुछ लोग सट्टा खेल रहे हैं। थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक वाल्मीकि चौबे एवं पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सट्टा खेल रहे व्यक्ति की तलाशी लेने पर मोबाईल में ऑनलाईन सट्टा की आईडी पर आईपीएल के मैचों पर हार-जीत का दाव लगाते पाया गया। पूछताछ पर अभियुक्त जयप्रकाश शिवहरे द्वारा आईपीएल मैच में हार जीत का ऑनलाइन सट्टा लगाने की बात स्वीकार करते हुए सट्टे की आईडी सुनील शिवहरे निवासी हिम्मतपुरा हाल सटई रोड छतरपुर द्वारा देना बताया। दोनों आरोपियों जयप्रकाश शिवहरे निवासी सटई रोड छतरपुर, सुनील शिवहरे हिम्मतपुरा हाल सटई रोड छतरपुर के विरुद्ध नामजद अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई। अभियुक्त को धारा 41(1) जा.फौ. का नोटिस देकर न्यायालय उपस्थित होने बावत पाबंद किया गया। शेष आरोपी सुनील शिवहरे की तलाश व विवेचना कार्यवाही जारी है।

यूटीडी की इन स्नातक कक्षाओं में 4245 सीटों पर मिलेगा प्रवेश

छतरपुर। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ,छतरपुर के यूटीडी में पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया संचालित है। प्रवेश के पहले चरण में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए,एमए, एमएससी, एमकॉम , एमबीए होटल मैनेजमेंट एवं एमबीए टूरिज्म जैसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थियों ने अपना ऑनलाइन पंजीयन कराया है। प्रवेशार्थियों से प्रवेश संबंधी जानकारी हेतु हेल्प डेस्क की सहायता लेने की अपील भी की जा रही है।आईटी प्रभारी डा आरके पांडे एवं मीडिया सदस्य श्री एनके पटेल के मुताबिक इस नए सत्र में स्नातक प्रथम वर्ष बीए में कुल 1800 सीट, बीबीए में 60, बीकॉम कॉमर्स विथ कंप्यूटर एप्लिकेशन में 35, बीकॉम कामर्स में 480, बीएससी बायोटेकनोलोजी-बॉटनी-केमेस्ट्री ग्रुप में 60, बीएससी बायोटेकनोलोजी-केमेस्ट्री-कंप्यूटर एप्लिकेशन ग्रुप में 40, बीएससी बायोटेकनोलोजी -केमेस्ट्री-जूलोजी ग्रुप में 60, बीएससी बाटनी-केमेस्ट्री-जियोलॉजी ग्रुप में 50, बीएससी बाटनी-केमेस्ट्री- इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी ग्रुप में 50, बीएससी बाटनी-केमेस्ट्री-सीड टेक्नोलॉजी ग्रुप में 60, बीएससी बाटनी-केमेस्ट्री-सॉयल कंजरवेसन एंड वाटर मैनेजमेंट ग्रुप में 60,बीएससी बाटनी-केमेस्ट्री-जूलॉजी ग्रुप में 350, बीएससी जूलोजी-केमेस्ट्री-जियोलॉजी ग्रुप में 70,बीएससी फिजिक्स-केमेस्ट्री-मैथमेटिक्स ग्रुप में 600, बीएससी जूलोजी-केमेस्ट्री-सॉयल कंजरवेसन एंड वाटर मैनेजमेंट ग्रुप में 60, बीएससी जूलोजी-केमेस्ट्री-फोरेंसिक साइंस ग्रुप में 40, बीएससी जूलोजी-केमेस्ट्री-कंप्यूटर एप्लिकेशन ग्रुप में 40,बीएससी-मैथमेटिक्स-फिजिक्स-कंप्यूर एप्लिकेशन ग्रुप में 100 ।

जांच 3 दिवस में शुक्रवार को पूर्ण होनी थी, लेकिन

जांच की शुरुआत शुक्रवार तक नहीं हुई

10 लाख के ऊपर की अनियमितता/ गबन/वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में 3 सदस्य जांच टीम होने का प्रावधान है, कार्यवाही होगी : प्रशासक

मामला : तत्कालीन कैशियर जगन्नाथ राजपूत ने अपने पद का दुरुपयोग कर बिना ब्रांच मैनेजर हस्ताक्षर के किये लाखों रुपए के गलत भुगतान

जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक छतरपुर में वही होता है, जो बैंक में पदस्थ सुरेश रावत कहें। उसमें फिर यह नहीं देखा जाता है, कि यह सही है या गलत।

हरिभूमि न्यूज,छतरपुर।

बैंक महाप्रबंधक आरएस भदोरिया कुछ निजी कारणों से अवकाश पर है। जिसमें प्रभारी महाप्रबंधक सुरेश रावत है। बैंक में सुरेश रावत के कार्यकाल में नियमित डाक की रिसीविंग मिलना भी बहुत टेढ़ी खीर है। जिला सहकारी बैंक में 14 मई को एक लिखित शिकायत की गई थी, कि तत्कालीन कैशियर जगन्नाथ राजपूत द्वारा लाखों की अनियमितताएं सहकारी बैंक घुवारा में 2011-2012 में की गई है। जिसमें प्रभारी महाप्रबंधक सुरेश रावत ने जांच के लिए चंद्रशेखर अवस्थी को नियुक्त किया था। प्रभारी महाप्रबंधक सुरेश रावत को यह भी जानकारी नहीं है कि 10 लाख के ऊपर की अनियमित्ता/गवन के आरोप में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की जाती है, लेकिन सारे नियम कानून को दर किनार करते हुए सुरेश रावत ने हिटलर शाही आदेश किया जारी। 14 मई के जांच प्रतिवेदन में लिखा गया था कि यह जांच 3 दिन में पूर्ण करके बैंक में सोपी जाए। लेकिन जांच अधिकारी चंद्रशेखर अवस्थी द्वारा ऐसा नहीं किया गया, और ना ही समय से जांच की गई। 3 दिन की समय अवधि पूर्ण होने के बाद शायद जांच के बारे में विचार किया गया। जिसमें चंद्रशेखर अवस्थी द्वारा कहा गया कि शनिवार से जांच की शुरुआत होगी।

सहकारी बैंक में पिछले कुछ समय से लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। कई बैंक के कई कर्मचारी ऐसे हैं जो वित्तीय लेनदेन के नियमों को दरकिनार कर अपने पद का दुरुपयोग कर बैंक को अब तक लाखों रुपए की चपत लगा चुके हैं। मामला भ्रष्ट अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद उन पर कार्रवाई न होने से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के हौसले और भी बुलंद है। सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा घुवारा में वर्ष 2011 2012 में जगन्नाथ राजपूत कैशियर के पद पर पदस्थ थे। इनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर वित्तीय लेनदेन नियमों को दरकिनार करते हुए बिना तत्कालीन शाखा प्रबंधक की स्वीकृति के लाखों रुपए का आहरण अपने हस्ताक्षर से कर समितियों के कर्मचारियों को भुगतान कर दिया। इस तरह इन्होंने एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है।

क्या है पूरा मामला

तत्कालीन जगन्नाथ राजपूत कैशियर/ लिपिक के पद पर बीते वर्ष 2011-12 में घुवारा में पदस्थ रहे। अपने पद का भरपूर दुरुपयोग किया गया। बैंक के वित्तीय नियमों को दरकिनार कर अपने हस्ताक्षर से लाखों रुपए के भुगतान किये गए। बैंक के वित्तीय नियमों के तहत शाखा प्रबंधक की स्वीकृति और हस्ताक्षर के बिना कोई भी आहरण नहीं किया जा सकता तथा भुगतान चेक पर शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है, लेकिन कैशियर जगन्नाथ राजपूत ने अपने पद का दुरुपयोग कर बिना ब्रांच मैनेजर के हस्ताक्षर से कर्मचारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए पद का दुरुपयोग कर लाखों रुपए का आहरण किया है। जिसमेंसेवा सहकारी समिति रामटोरिया के तत्कालीन बचत बैंक प्रभारी मनमोहन सेन को 500000 चेक क्रमांक 743718 दिनांक 4 जून 2011 को किया गया था। इस चेक में सिर्फ तत्कालीन कैशियर जगन्नाथ राजपूत के ही हस्ताक्षर हैं।

प्राथमिक वनोउपज सहकारी समिति भगवा सिमरिया के तत्कालीन पोषक अधिकारी कैलाश नाथ खरे को भी बिना शाखा प्रबंधक की स्वीकृति व हस्ताक्षर के 2 जून 2011 को खाता क्रमांक 762916 एवं 4 जून 2011 को खाता क्रमांक 762131 को एक 100000 का भुगतान किया गया था। जिसमें आहरण का उद्देश्य किसी तरह का स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है। इसी प्रकार तत्कालीन कैशियर जगन्नाथ राजपूत द्वारा कुछ अन्य मामलों में चैक क्रमांक 752629,राम प्रसाद के नाम राशि 6 लाख रुपए, चैक क्रमांक 752528, राशि 2 लाख रुपए,चैक क्रमांक 724337 राशि 5 लाख रुपए की राशि बिना शाखा प्रबंधक की स्वीकृति के तत्कालीन कैशियर द्वारा अपने हस्ताक्षर से निकाली गई है।

इनका कहना है

10 लाख के ऊपर की अनियमितता/गबन के आरोप में तीन सदस्यीय जांच टीम का होना आवश्यक है, अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। सोमवार को मैं बैंक पहुंचकर शिकायत देखता हूं कि बैंक द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, मंडल द्वारा जांचकर उसे दंडित किया जाएगा।

करुणेंद्र प्रताप सिंह, प्रशासक
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर

आसमान से बरस रही आग

45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, आज सबसे गर्म दिन, अगले चार दिनों तक चलेगी हीटबेब

नौगांव। क्षेत्र में पिछले दो दिनों से मौसम के बदलने से आसमान से आग बरस रही है, आग बरसने और गर्म हवाएं चलने से हीटबेब के चलते रविवार का तापमान 45.3 डिग्री पहुंच गया जो कि इस सीजन का अब तक सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ है, तो वहीं दिन के साथ अब रातें भी गर्म हो रही हैं जिसके चलते रात का न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 30 डिग्री पहुंच गया है। दिन के साथ रात का तापमान चढ़ने से अब दिन के साथ रातें भी सतानें लगी है। मई माह का आधा सफर अभी पूरा हुआ है।

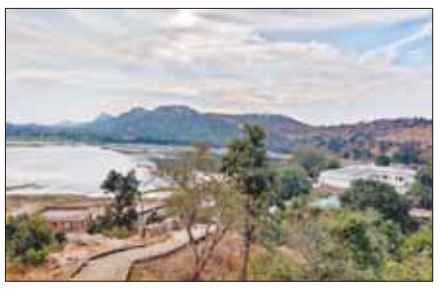

मौसम विभाग की माने तो आगामी 72 घंटे में और तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ेगा।
मई की शुरुआत भीषण गर्मी से हुई है। मई में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार हो था फिर अचानक मौसम में परिवर्तन के चलते पारा नीचे आ गया और अब बीते दो दिनों से एक बार फिर पारा ऊपर चढ़ रहा है। जिसके चलते शनिवार को दर्ज हुआ 44.5 दर्ज तापमान चढ़कर रविवार को तापमान 45.3 डिग्री
पहुंच गया। रविवार सुबह 8 बजे से तेज धूप पसीना छुड़ा रही है तो दोपहर से शाम तक लू हलाकान कर रही है। मौसम का मिजाज अगले 4 दिन तक ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विशेषज्ञों ने इसके बाद थोड़ा बदलाव होने की संभावना व्यक्त की है। हालांकि मई माह में क्षेत्र में बारिश होने की संभावना कम है।
हालांकि 19 मई रविवार को दक्षिण पश्चिम मानसून ने निकोबार के तट पर दस्तक दे दी है इसलिए 28 मई से 3 जून के मध्य केरल में मानसून की दस्तक हो जाएगी। इस बार अल नीनो सिस्टम एक्टिव होने से अच्छे बारिश होने का अनुमान है जिसके चलते 15 जून तक जिले में मानसून की दस्तक हो जाएगी। इससे पहले लगभग 25 दिनों तक भीषण गर्मी से जूझना पड़ेगा। मार्च-अप्रैल में भीषण गर्मी की संभावना थी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ और दूसरे सिस्टम एक्टिव होने से मौसम में बार-बार बदलाव हुआ। अप्रैल में बारिश हुई। मई में भीषण गर्मी का अहसास हो रहा है। रविवार की सुबह से ही सूर्य देवता ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए, जिसके चलते सुबह 11 बजे से लू चलने लगी। जिसके चलते बाजार में सन्नाटा पसरा रहा, अधिकांश लोग घरों में ही रहे। बाजार की सड़कें सुनसान रही। बाजार में जो लोग निकले भी तो वह अपने आप को अच्छे तरीके से कवर करके निकले। प्रदेश में चल रही हीटबेब के कारण तापमान में दिन प्रतिदिन बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है।

नौतपा के पहले भी खूब तपेगा नौगांव

मौसम भी अजब और गजब है जहां एक तरफ बुन्देलखंड और ग्वालियर संभाग में आग बरस रही है।जिसके चलते क्षेत्र में आगामी चार दिनों तक दिन और रात का तापमान बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के केसी रायकवार के मुताबिक आने वाले दिनों में ऐसा ही मौसम रहेगा, कुछ बादल छा सकते है।

दिनांक	अधिकतम तापमान	न्यूनतम तापमान
16/05/2024	43 डिग्री	25.8 डिग्री
17/05/2024	43.7 डिग्री	27.5 डिग्री
18/05/2024।	44.5 डिग्री	27.8 डिग्री
19/05/2024।	45.3 डिग्री	30 डिग्री

शहर में निकला जुलूस, जिले भर में दर्ज हैं

ढाई दर्जन अपराध, एसपी ने किया खुलासा

हरिभूमि न्यूज, छतरपुर।

लंबे समय से छतरपुर पुलिस के लिए सिरदर्द बने 20 हजार के इनामी और कुख्यात अपराधी जाफिर उर्फ जफ्फू खान को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि जफ्फू खान को पुलिस ने पड़ोसी जिले सागर से गिरफ्तार किया है। रविवार की दोपहर सिटी कोतवाली थाने से महल तिराहे तक अपराधी जफ्फू खान का पुलिस के द्वारा जुलूस भी निकाला गया। उल्लेखनीय है कि अपराधी जफ्फू खान के ऊपर जिले के अलग-अलग थानों में ढाई दर्जन से अधिक संगीन अपराध दर्ज हैं।

रविवार की शाम पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कुख्यात अपराधी जाफिर उर्फ जफ्फू खान वर्ष 2007 से निरंतर अपराधों में लिप्त है। उसके विरुद्ध थाना कोतवाली में वर्ष 2007 से अवैध वसूली, चोरी, मारपीट, गाली-गलौज, बलवा, अवैध हथियार रखने, अवैध शराब, हत्या का प्रयास करने के 24 अपराध, सिविल लाइन थाना में हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, मारपीट, अवैध हथियार के 7 और नौगांव थाना में बलवा, मारपीट एवं अवैध हथियार संबंधी अपराध सहित संपूर्ण जिले में कुल 32 अपराध पंजीबद्ध हैं। वर्ष 2021 में जाफिर उर्फ जफ्फू खान के विरुद्ध दर्ज किए गए हत्या के प्रयास के मामले में पिछले 3 वर्षों से पुलिस उसे गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। उसकी गिरफ्तारी पर 20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जफ्फू के विरुद्ध 7 स्थाई वारन्ट और 1 गिरफ्तारी वारन्ट भी न्यायालय द्वारा जारी किये गये थे। इसके अलावा जफ्फू खान के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा 8 बार प्रतिबंधात्मक कार्रावाई भी की जा चुकी है। बीती रात मुखबिर से कोतवाली निरीक्षक अरविंद कुजूर को सूचना प्राप्त हुई कि अपराधी जफ्फू को सागर जिले के शाहगढ़ थाना क्षेत्र में देखा गया है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अरविंद कुजूर ने अपनी पुलिस टीम के साथ सम्बन्धित स्थान पर दबिश देकर जाफिर उर्फ जफ्फू खान को गिरफ्तार कर लिया।

समिति प्रबंधक ने केंद्र प्रभारी गुप्ता को सस्पेंड, सहायक केंद्र प्रभारी को सेवा से किया बर्खास्त

फर्जी वॉइस रिकॉर्डिंग को लेकर पूर्व सरपंच अकोना तिवारी ने एसपी को सौंपा आवेदन

हरिभूमि न्यूज,राजनगर।

राजनगर थाने में केंद्र प्रभारी अरुण गुप्ता और सहायक केंद्र प्रभारी भूपेंद्र गुप्ता के ऊपर मामला पंजीबद्ध होने के बाद धवाड समिति प्रबंधक गणपत पटेल ने केंद्र प्रभारी अरुण गुप्ता को सस्पेंड कर सहायक केंद्र प्रभारी भूपेंद्र को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वॉइस रिकॉन्डिंग वायरल हो रही थी जिस पर पूर्व सरपंच राममूर्ति तिवारी की आवाज में विक्रेता से रुपए की मांग की जा रही थी। जिसमे पूर्व सरपंच अकोना राममूर्ति तिवारी ने 14 मई को एसपी को आवेदन सौंपा था। कि यह आवाज मेरी नहीं है, जिसकी जांच कराई जाए। आवेदन में बताया गया कि पूर्व में थाना राजनगर में आवेदन दिया गया था, जिसमे इन लोगों द्वारा किया गया फर्जीवाड़ा खुला था। राजनगर पुलिस ने केंद्र प्रभारी और सहायक केंद्र प्रभारी के ऊपर किया था मामला पंजीबद्ध। जिसमें मुझे साक्षी बनाया गया था। तभी से इन लोगों के द्वारा मेरे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं।

सहकारी बैंक शाखा राजनगर अंतर्गत सेवा सहकारी समिति धवाड़ में केंद्र प्रभारी और सहायक केंद्र प्रभारी के ऊपर बीते दिनो 420, 34 आईपीसी का मामला पंजीबद्ध किया गया था। बीते दिनों धवाड समिति के लिए सरसों का केंद्र राजनगर मंडी में स्वीकृत हुआ था, लेकिन केंद्र प्रभारी अरुण गुप्ता ने अधिकारियों से सांठ गांठ कर केंद्र को धवाड़ समिति ले गए। फिर भी केंद्र को धवाड़ सोसाइटी में ना खोलकर 4 किलोमीटर दूर अकोना सोसाइटी में यह केंद्र 2-3 दिन के लिए खोला गया। यहां पर केंद्र प्रभारी अरुण गुप्ता, सहायक केंद्र प्रभारी भूपेंद्र गुप्ता द्वारा करीब 2000 हजार क्वांटल सरसों पहले से ही अकोना गांव में खरीद कर रख लिया था। इसी खेल के लिए अधिकारियों से सांठ गांठ कर केंद्र को 2-3 दोनों के लिए अकौना में खोला गया था। जिसमें अरुण गुप्ता के यहां से सिर्फ बोरियों की पलटी हुई थी। सरकारी बोरियों में यह सरसों केंद्र में लाया गया था। बीते दिनों बिना रसीद, बिना बिलिटी और बिना गेट पास के यह तीन ट्रैकों में सरसों भरकर राजनगर मंडी वेयर हाउस में रखने के लिए लाया गया था। जिसकी शिकायत पूर्व सरपंच राममूर्ति तिवारी अकोना द्वारा राजनगर तहसीलदार सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से की गई थी। तहसीलदार धीरज कुमार गौतम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। मौके पर देखा की राजनगर मंडी में 3 ट्रक सरसों से लदी गाड़ियां खड़ी है। जिसमें ड्राइवरों से कागजात मांगे गए, लेकिन मौके पर ड्राइवर द्वारा कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए। तहसीलदार ने तत्काल पंचनामा तैयार कर तीनों ट्रैकों को राजनगर थाने में पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। अगले दिन थाने में खड़े तीनों ट्रक के माल को राजनगर मंडी वेयरहाउस में अधिकारियों के सामने पंचनामा तैयार कर सुरक्षित रखा गया था।

अकौना पूर्व सरपंच राममूर्ति तिवारी ने शिकायती आवेदन दिनांक बीते 10 मई को सुबह सौंपा था। जिसमें बताया गया था कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान अकोना में लगभग 485 बोरी सरसों सरकारी बोरियों में और सरकारी बारदाने में अवैध तरीके से भर कर रखी हुई है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने समिति प्रबंधक गणपत पटेल, निलंबित केंद्र प्रभारी अरुण गुप्ता, भूपेंद्र गुप्ता से दूरभाष पर शासकीय उच्चतर मूल्य की दुकान में रखे सरसों की बोरियों की जानकारी चाही गई थी, लेकिन इन तीनों नटवरलालों में से किसी ने भी तहसीलदार का फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा। तहसीलदार ने मौके पर पंचनामा तैयार कर सरकारी गोदाम में रखे अवैध सरसों को सील कर दिया था। एफआईआर पर स्टे के लिए 22 मई 2024 को हाई कोर्ट में सुनवाई है।

समिति प्रबंधक ने अरुण गुप्ता को सस्पेंड और भूपेंद्र गुप्ता को सेवा से बर्खास्त किया -

अरुण गुप्ता केंद्र प्रभारी और भूपेंद्र गुप्ता सहायक केंद्र प्रभारी के ऊपर राजनगर थाने में मामला पंजीबद्ध के बाद धवाड समिति प्रबंधक गणपत पटेल ने अरुण गुप्ता को सस्पेंड, तो वही दैनिक मजदूरी विक्रेता का काम करने वाले भूपेंद्र गुप्ता को विक्रेता के पद से पृथक कर दिया है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि अरुण गुप्ता सबसे बड़ा जालसाज और धोखेबाज विक्रेता रहा है। बीते साल 2020 में अकोना निवासी रामदिल्ला पिता गुबरा निवासी अकोना ने खजुराहो थाने में आवेदन दिया था कि गेहूं का पंजीयन अपने नाम से सोसाइटी गए थे, तो वहां पर मौजूद केंद्र प्रभारी अरुण गुप्ता ने बोल दिया था कि आज सर्वर डाउन है, और किसी दिन आ जाना। उसके बाद कई बार गए, लेकिन मेरे नाम का पंजीयन नहीं किया गया। अरुण गुप्ता ने मेरी जमीन के पंजीयन के लिए अपने कागजात लगाकर अपने नाम का पंजीयन कर लिया था। जिसकी शिकायत 27 मई 2020 को खजुराहो थाने में की गई थी। इसी प्रकार का कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राजनगर ने शासकीय उचित मूल्य दुकान बैनीगंज में विक्रेता अरुण गुप्ता द्वारा कई प्रकार की अनियमितता उपभोक्ताओं के साथ की गई थी। जिसमें अधिकारियों ने मौके पर उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए थे। जिसमें पाया गया था कि अरुण गुप्ता द्वारा चावल, गेहूं, शक्कर, तेल का वितरण समय से और सही नही किया गया है।

खाद्य सामग्री को बाजार में ब्लैकमेल किया गया है। जिसमे खजुराहो थाने में 23 जनवरी 2021 को मामला पंजीबद्ध किया था। जिसमे हाईकोर्ट से स्टे है।

एनटीपीसी विंध्याचल द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 2024 के अवसर पर स्वच्छता रैली का किया गया आयोजन

एनटीपीसी ।

एनटीपीसी केन्द्रीय कार्यालय एवं विद्युत मंत्रालय के निर्देशानुसार सभी परियोजनाओं में दिनांक 16.05.2024 से 31.05.2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में एनटीपीसी विंध्याचल परियोजना द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता रैली एवं श्रमदान का आयोजन परियोजना के नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेक पार्क में दिनांक 19.05.2024 को प्रातः 6.00 बजे से किया गया । जिसमें सभी ने श्रमदान कर यह शपथ लिया कि हम स्वयं न गंदगी करेंगे तथा न किसी को गंदगी करने देंगे। सभी के द्वारा लेक पार्क परिसर को साफ कर परिसर को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया गया एवं सभी को जागरूक किया गया। इस स्वच्छता रैली का मुख्य उदेश्य आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुये मुख्य महाप्रबंधक(प्रचालन एवं अनुरक्षण) श्री समीर शर्मा नें अपने उद्बोधन में कहा कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए सयंत्र में कार्य करने के साथ-साथ अपने दैनिक दिनचर्या में स्वच्छता को भी महत्व देना चाहिये। साथ ही उन्होनें सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया और दैनिक जीवन में स्वच्छता के महत्व के बारे में भी बताया।इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य महाप्रबंधक(प्रचालन एवं अनुरक्षण) श्री समीर शर्मा, महाप्रबंधकगण, अपर महाप्रबंधकगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ-साथ भारी संख्या में नगरवासी भी उपस्थित रहें।

खबर संक्षेप

टीएल बैठक आज

रीवा । कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल टीएल बैठक में आज 20 मई को प्रातः 11 बजे से कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में समय सीमा के पत्रों की समीक्षा करेंगी। साथ ही बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की भी कलेक्टर द्वारा विभागवार समीक्षा की जायेगी।

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आज

रीवा। लोकसभा निर्वाचन की जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 20 मई को दोपहर बाद 3 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई है। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल रीवा संसदीय क्षेत्र की मतगणना के संबंध में की जा रही तैयारियों की जानकारी देंगी। सभी उम्मीदवारों तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है।

कक्षा 6 से 9 तक प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित

रीवा। जनजातीय कार्य विभाग के तहत आदर्श आवासीय विद्यालय (सर्रा) चुरहट जिला सीधी में संचालित है। इसमें कक्षा छठवीं से नौवीं तक की कक्षाओं में शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रवेश दिया जा रहा है। इसके लिए अनुसूचित जनजाति के पात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्र 30 मई तक आमंत्रित किये गये हैं। इसी तरह कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए भी अनुसूचित जनजाति के पात्र विद्यार्थियों से 31 मई तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक आवेदन पत्र के लिये प्रवेश प्रभारी पी.के. दीक्षित (व्याख्याता) 9981530675 एवं 9827258441 (प्राचार्य) के दूरभाष पर संपर्क कर सकते है। विद्यार्थी का एमपीटास में प्रोफाइल पंजीयन अनिवार्य है। विद्यालय में प्रवेश समिति द्वारा महत्वपूर्ण तिथियों व रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। सीबीएसई एवं एमपी बोर्ड द्वारा 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के मेरिट सूची के आधार में विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा। एमपी बोर्ड में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र ही पात्र होंगे। प्रवेशित छात्रों को आवास, भोजन, पाठ पुस्तक, गणवेश आदि सभी सुविधाये प्रदान की जावेगी।

आई.टी.आई. में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित

रीवा। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया एक मई से प्रारंभ हो गई है। प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट www.dsd.mp.gov.in पर कराकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। प्राचार्य संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संबंध में विस्तृत जानकारी आई.टी.आई. से प्राप्त की जा सकती है।

वृद्धजन स्वास्थ्य दिवस आज

रीवा। वृद्ध हमारे समाज का महत्त्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। हमारे समाज में वृद्ध नागरिकों का विशेष स्थान है। यह किसी भी सफल समाज के दर्पण होतें है और इस आधुनिक समाज मे आज यह कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहें जैसे उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, मानसिक अवसाद, मोतियाबिन्द, बहरेपन, अकेलेपन आदि। वृद्धजन के बेहतर स्वास्थ्य संवर्धन हेतु जिले मे 20 मई को वृद्धजन स्वास्थ्य दिवस के रूप मे मनाया जाएगा जिसमें सभी 60 साल के मरीजों का स्वास्थ्य संस्थाओं में सामुदायिक स्वास्थ्य संवाद स्थापित कर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। सीएमएचओ डॉ. संजीव शुक्ला ने बताया कि जिले स्तर से विषय विशेषज्ञों को समुदाय स्तर पर स्क्रीनिंग हेतु भेजा जाएगा और चिन्हांकन कर मरीजों का उपचार प्रबंधन किया जाएगा तथा सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में 60 साल से ऊपर के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।

डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के लिये प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ

रीवा । प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा अशासकीय महाविद्यालयों में डीएलएड पाठ्यक्रम में शिक्षण सत्र 2024-25 के लिये पंजीयन की प्रक्रिया 13 मई, से एम पी ऑनलाईन के माध्यम से शुरू कर दी गई है।

हाई कोर्ट ने याचिका निरस्त की

दैनिक वेतन भोगी कर्मी पेंशन का हकदार नहीं

जबलपुर। हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पेंशन का अधिकारी नहीं है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने याचिका निरस्त करते हुए कहा कि अर्हकारी सेवा में आने के बाद कर्मचारी पेंशन का अधिकारी होता है। यह मामला रीवा निवासी मोतीलाल धर की ओर से दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था कि वह साल 1995 से 2011 तक जल संसाधन विभाग में कार्यरत था। पेंशन में उसकी इस सेवा को नहीं जोड़ा गया है।

सरकार का ओर स तप दिया गया कि याचिकाकर्ता का उस दौरान दैनिक वेतन भोगी के रूप में रखा गया था। इसलिए वह पेंशन का अधिकारी नहीं है। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि पेंशन नियमों के नियम-तीन (पी),1976 अर्हकारी सेवा से संबंधित है। अर्हकारी सेवा उस तिथि से प्रारंभ होती है जब कर्मचारी पेंशन योग्य सेवा में शामिल हो जाता है। दैनिक वेतन भोगी रोजगार से जुड़ता तो है, परंतु यह पेंशन योग्य सेवा नहीं है। हाई कोर्ट ने उक्त टिप्पणी के साथ दायर याचिका निरस्त कर दी।

कार्यपालन यंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर रोक

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश अवनेन्द्र कुमार सिंह ने पन्ना जिले के जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री सतीश शर्मा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। यह गिरफ्तारी वारंट पन्ना जिला न्यायालय द्वारा जारी किया गया था, जिसका मुख्य कारण एक भूमि अधिग्रहण मामले में न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड की राशि का जमा न करना था। उच्च न्यायालय में सतीश शर्मा की ओर से अधिवक्ता श्री शीर्ष अग्रवाल ने तर्प दिया कि अवार्ड की राशि शासन द्वारा जमा की जानी है, न कि व्यक्तिगत अधिकारी द्वारा। भूमि भी शासन द्वारा अधिग्रहित की गई थी, इसलिए व्यक्तिगत अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करना उचित नहीं है। न्यायालय में अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होकर आगामी आदेश तक कार्यपालन यंत्री के गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है।

सेवानिवृत्ति तक रिकवरी निरस्त

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त हेडमास्टर से 1995 से उसकी सेवानिवृत्ति तक की रिकवरी निरस्त कर दी। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि यदि इस दौरान कोई रिकवरी की गई है तो उसे 8 फीसदी ब्याज के साथ याचिकाकर्ता को लौटाएं। इसके लिए 30 दिन की मोहलत दी गई है। जबलपुर निवासी सुभाष प्रसाद पटेल की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया क याचिकाकर्ता जवाहर लाल नेहरू हायर सेकेण्डरी स्कूल इंद्राना से हेडमास्टर के पद से सेवानिवृत्त हुआ। उन्होंने बताया क गलत वेतन निर्धारण के कारण विभाग ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक जनवरी 1986 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक की रिकवरी निकाल दी। शासन की ओर से दलील दी गई क चतुर्थ वेतन आयोग की शर्त के अनुसार एक जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1995 तक की रिकवरी की जा सकती है।

संतुलित उर्वरकों के उपयोग से बढ़ती है पैदावार

रीवा ! कृषि वैज्ञानिकों द्वारा समय-समय पर किये गये प्रयोगों से यह बात साबित हो चुकी है कि खेतों से अधिकत्तम उत्पादन प्राप्त करने के लिये उर्वरकों के संतुलित व समन्वित उपयोग की जरूरत होती है न कि उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल की। एक ही तरह के उर्वरकों का उपयोग करने से फसलों को उचित पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिये कृषकों को मिट्टी की प्रकृति को ध्यान में रखकर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिये । ऐसा करके किसान उर्वरकों की खपत काफी कम कर सकते हैं और अपना आर्थिक बोझ भी कम कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार फसलों में उर्वरकों के उपयोग से पहले यह जानना जरूरी है कि मिट्टी की प्रकृति कैसी है अर्थात मिट्टी भारी है या हल्के किस्म की। ऐसा इसलिये आवश्यक है क्योंकि जब भूमि में उर्वरकों का उपयोग किया जाता है तब उसका बहुत बड़ा भाग मिट्टी की निचली सतह में बहकर चला जाता है, जिसका फसल में कोई उपयोग नहीं हो पाता। बालुई या हल्की मिट्टी में नत्रजनधारी उर्वरक जैसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट आदि का रिसाव चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिक होता है। इसलिये हल्की मिट्टी में नत्रजनधारी उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये, अन्यथा फसलों को जरूरत के मुताबिक उर्वरक प्राप्त नहीं होंगें और उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार उर्वरकों को हमेशा पौधों की जड़ों के आसपास देना चाहिये। जमीन के ऊपर उर्वरक बिखेरने से वह पौधों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाते। नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों को एक बार में न देकर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में फसल की आवश्यकतानुसार दो या तीन बार में देना चाहिये। साथ ही उर्वरक देते समय भूमि में नमी होना भी आवश्यक है, क्योंकि पौधों की जड़ें घोल के रूप में पोषक तत्व ग्रहण करती हैं। खड़ी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग पानी में घोलकर करना चाहिये। नत्रजन, स्फुर व पोटाश जैसे यूरिया, डीएपी व पोटेशियम सल्फेट को पानी में घोलकर खड़ी फसलों में दिया जा सकता है। जैविक खादों जैसे गोबर खाद, कम्पोस्ट अथवा हरी खाद के प्रयोग से भी रासायनिक उर्वरकों की खपत कम की जा सकती हे। कृषि विशेषज्ञ किसानों को यह भी सलाह देते हैं कि फसलों को जितने पानी की आवश्यकता हो उतनी ही सिंचाई करें अर्थात खेतों को अनावश्यक रूप से जलमग्न नहीं करना चाहिये। ऐसा करने से उर्वरक पानी के साथ रिसकर जमीन में नीचे बह जाते हैं। खड़ी फसल में उर्वरकों का प्रयोग तब करना चाहिये जब खेत पांव सहन करने लगें। साथ ही खरपतवारों को निकालकर उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिये अन्यथा वे भी उर्वरकों से पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं और उत्पादन क्षमता घट जाती है। उर्वरकों का उपयोग मृदा के पीएच मान के आधार पर ही करना चाहिये, क्योंकि सभी उर्वरक हर प्रकार की जमीन में उपयुक्त नहीं होते।

कार्यवाही और समझाइश के बाद भी ट्रैफिक नियमों का पालन करने तैयार नहीं चालक

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

यातायात नियमों को दरकिनार कर कानून की आंख में धूल झोंककर चालानी कार्यवाही से तो बचा जा सकता है लेकिन हेलमेट न होने पर होने वाली दुर्घटना में चोट और मौत को तो नही टाला जा सकता। वाहन चालन के दौरान हेलमेट की अनिवार्यता के बावजूद लोग इसके उपयोग से कतरा रहे है। यही वजह है कि सड़क हादसों में मौतो का ग्राफ कम होने का नाम नही ले रहा है। इस तरह लोगो को जान देना मंजूर है लेकिन हेलमेट नही।

सड़क हादसों में मौत के ग्राफ को कम करने के लिये शासन द्वारा दोपहिया वाहन सवारो के लिये हेलमेट की अनिवार्यता की गई है। हेलमेट का उपयोग किसी के दवाब में उपयोग का कार्य नही है बावजूद इसके लोग इसे नही अपना रहे है।

आमतौर पर महज 20 फीसद लोग ही हेलमेट का उपयोग करते है। ग्रामीण अंचलो में इसका उपयोग न के बराबर है। शहर में पुलिस की चालानी कार्यवाही से बचने के लिये अनेक दोपहिया वाहन चालक हेलमेट का दिखावे के लिये उपयोग तो कर रहे है लेकिन अधिकतर वाहन चालक हेलमेट उपयोग करते ही नहीं है। सड़क हादसो में खासकर सिर की चोट लगने से बचाने में हेलमेट अहम भूमिका निभाता है। वाहनों की चेकिंग और जागरूकता अभियानों में वाहन चालकों को हेलमेट की उपयोगिता की जानकारी दी जाती है लेकिन वाहन चालक इस ओर कोई ध्यान नहीं देते।

सीबीएसई परीक्षा परिणाम में विदुषी ने मऊगंज का बढ़ाया मान

मऊगंज। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं घोषित 12वीं के परीक्षा परिणामों में मऊगंज जिले की विदुषी केशरी ने 96 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए मऊगंज जिले को गौरवान्वित किया है उल्लेखनीय है कि विदुषी केशरी नगर परिषद मऊगंज की पूर्व अध्यक्ष चन्द्रप्रभा गुप्ता एवं नगर के प्रतिष्ठित व्यवसाई ओमप्रकाश गुप्ता की पुत्री हैं विदुषी केशरी की इस उपलब्धि पर उनके शुभचिंतकों ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध

बरांव पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर लाखों की गड़बड़ी

कागजों में खोदे लाखों के तालाब,बनी पीसीसी नाली व सड़क,और कई कार्यो में हुआ गजब का भ्रष्टाचार

मऊगंज।

भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए मऊगंज जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के द्वारा भ्रस्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बेलगाम भ्रस्ट विभागीय अधिकारियों के चलते उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद विफल है। जहां पर भ्रस्ट अधिकारियों की मिलीभगत से नगर से लेकर पंचायत स्तर पर भ्रस्टाचार थमने का नाम नही ले रहा है। ऐसा ही व्यापक पैमाने पर भ्रस्टाचार से जुड़ा एक मामला मऊगंज जिला कलेक्टर के पास पहुंचा है। जो कि जनपद पंचायत हनुमना अंतर्गत ग्राम पंचायत बरांव के वर्तमान सरपंच श्रीमती विमला कोल, तत्कालीन सरपंच श्रीमती अनीता साकेत,वर्तमान सचिव मोहन सिंह,तात्कालीन सचिव पुष्पेंद्र सिंह,सतेन्द्र सिंह एवं ग्राम रोजगार सहायक श्रीमती अनीता साकेत पर विभिन्न निर्माण कार्यों में गुणवत्ता विहीन बिना निर्माण कार्य कराए प्राकलन के विपरीत एवं शासन के नियम निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायत की राशि का आहरण कर व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़े को अंजाम देने की शिकायत जनपद पंचायत में जनपद सदस्य हनुमना (वार्ड क्रमांक 04) राजमणि पटेल के द्वारा की गई लेकिन जनपद के अधिकारियों के द्वारा मामला को दबाने का काम किया जा रहा है। जिसके बाद जनपद सदस्य द्वारा 21 मार्च को मऊगंज कलेक्टर को सौंपे गए पत्र में बरांव पंचायत में भ्रस्टाचार की जाँच दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। जिस पर जिला कलेक्टर ने 20 अप्रैल 24 को जनपद सीईओ हनुमना को जारी पत्र में 07 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं जनपद सदस्य का आरोप है कि जनपद के अधिकारियों द्वारा आज दिनांक तक पंचायत जाकर भ्रस्टाचार की जांच करना उचित नहीं समझा। जिससे पंचायत में आज भी फर्जी मस्टर रोल के द्वारा फर्जीवाड़ा का खेल लगातार जारी है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ग्राम पंचायत में होने बाले भ्रस्टाचार में जनपद के अधिकारियों ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। *इन सभी गड़बड़ियों की हुई शिकायत* बरांव पंचायत के नाली निर्माण कार्य जो कि पंचायत भवन से लेकर गणेश मन्दिर तक, पी.सी.सी रोड निर्माण कार्य शेषमणि मिश्रा के घर से भैयालाल मिश्रा के घर तक,पी.सी.सी रोड निर्माण कार्य मनोज मिश्रा के घर से सत्यमणि तिवारी के घर तक, निर्माण कार्य शास. उच्च.माध्य. विद्यालय बरांव, जीर्णोद्धार गजरिया तालाब,जीर्णोद्धार रानी तालाब, जीर्णोद्धार महतमान तालाब, सार्वजनिक स्वच्छता परिसर बरांव,पुल निर्माण कार्य अगदेवा मार्ग में,नाडेप टैंक 10 नग एवं शोख्ता 10 नग निर्माण कार्य, बाउंड्रीवाल प्राथ. पाठ शाला बरांव,वृक्षारोपण शास. उच्च. माध्य. विद्यालय बरांव । प्रशासनिक मद पर व्यय जैसे स्टेशनरी, संधारण, पेयजल व्यवस्था, टैंट पर व्यय आदि । जनपद सदस्य द्वारा 14 बिंदुओं की शिकायत पत्र में विभिन्न निर्माण कार्यों एवं प्राशासनिक मदो पर व्यय की गई सम्पूर्ण राशि की गहन जाँच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई है। देखना होगा कि जनपद के अधिकारी जिला कलेक्टर के आदेश का पालन करते हैं या फिर जांच को लेकर उनकी नोटिस का इंतजार करते रहेंगे।

प्रिंट रेट से अधिक रेट में बिक रही शराब

ठेका बदला, व्यवस्थाएं जस की तस

आबकारी सहित जिम्मेदार विभाग बने मूकदर्शक

जिले सहित कस्बे में खुली कम्पोजिट मदिरा की शासकीय शराब दुकानों में आबकारी नीति के विरुद्ध बिना रेट सूची लगाए प्रिंट रेट से भी अधिक दामों में ठेकेदार द्वारा शराब की बिक्री की जा रही है। शराब बिक्री में दामों को लेकर कई बार ग्राहक एवं दुकानदार के बीच बाद विवाद की नौबत बनी रही

मऊगंज।

इसके बावजूद भी आबकारी विभाग सिर्फ खानापूर्ति में जुटा है। जबकि आबकारी आयुक्त ने सभी दुकानों में रेट सूची लगाने एवं बिल देने का आदेश जारी किया गया है। किंतु जिले के आबकारी अधिकारियों की स्वयं की संलिप्तता के कारण ठेकेदारों से मिलकर मनमाने रेट पर शराब बिक्री की जा रही है। जिसका विरोध भी ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन उनका यह विरोध ठेकेदार के ताकत और पैसे के बल पर दब जाता है। जिसके कारण मनमाने दामों में शराब की बिक्री की जा रही है। साथ ही ग्रामीण अंचलों में भारी मात्रा में शराब ठेकेदारों द्वारा पैकारी कराई जा रही है। मऊगंज नईगढी कस्बे सहित अन्य श्रेत्रो में शराब को सरकारी रेट पर न बेच कर मनमाने रेट बेचा जा रहा है। यह कार्य शराब दुकान आबकारी विभाग के अधिकारियों से मिली भगत कर कर रहे हैं। जिसकी वजह से आए दिन सेल्समैन और ग्राहक के बीच दुकानों पर झगड़े हो रहे हैं।गौरतलब है कि अंग्रेजी शराब दुकान में प्रिंट रेट से दस से बीस रुपए अधिक दर पर बेची जा रही है, साथ ही शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट भी नहीं लगी है। पुलिस-प्रशासन व आबकारी विभाग कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। शराब दुकान से शराब हों या बियर की बाटल सब में पिंट रेट से अधिक लेट में खुले आम बेची जा रही शराब। यह सब अबकारी विभाग के अधिकारियों की जानकारी में हो रहा है। *लाइसेंसी ठेकेदार के कार्यकर्ताओं के सह पर खुलेआम हो रही ग्रामीण अंचल में पैकारिया।* क्षेत्र में शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है। ग्रामीण अंचलों में पैकारियां चल रही हैं। अवैध ठिकानों से खुलेआम शराब बेची जा रही है। आबकारी विभाग की अनदेखी से नगर से लेकर आसपास के गांवों तक शराब का अनाधिकृत कारोबार फल-फूल रहा है। जिम्मेदारों की ढिलाई से लाइसेंसी ठेकेदार मनमानी पर उतारू हैं। सूत्रों की माने तो साठगांठ से चल रहे इस खेल में लाइसेंसी ठेकेदार के आसानी से अवैध शराब उपलब्ध होने के साथ क्षेत्र में अराजकता भी बढ़ रही है। नशे की लत वारदातों की वजह भी बन रही है। इसके बावजूद जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हैं। कार्रवाई का शिकंजा नहीं कसने से बेखोफ होकर पैकारियां चलाई जा रही हैं। क्षेत्र में शराब के अवैध रूप से संचालित पैकारी में ठेकेदार के कार्यकर्ता शामिल हैं। सूत्रों की माने तो शराब ठेकेदार लाइसेंस की आड़ में क्षेत्र में पैकारियों को संचालित कर रहे हैं। पैकारियों तक शराब की अवैध आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर शराब की अवैध बिक्री का खेल चल रहा है। ठेकेदार के कार्यकर्ताओं के सह पर ही कई जगह पैकारियां खुलवाई हैं।हालांकि नईगढ़ी में क्षेत्र में हाथ भट्टी महुआ शराब के खिलाफ नईगढ़ी पुलिस एवं आबकारी अमले की कई बार कार्रवाई भी की गई। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है। कि लाइसेंसी ठेकेदार की ग्रामीण अंचल में जगह जगह खुली पैकारियो पर कार्रवाई क्यों नहीं जाती।तो वही नईगढ़ी के मुख्य बाजार एवं कटरा मऊगंज मार्ग में मुख्य सड़क मार्ग पर खुली शराब की दुकान में शाम ढलते ही शराबियों का जमघट लग जाता है। तों वही सड़क के दोनों किनारों पर दो चक्का से लेकर चार चक्का वाहन खड़े हो जाते हैं। जिससे मुख्य मार्ग पर आवागमन तो प्रभावित होता ही है। साथ ही दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहीं से 300 मीटर की दूरी पर ऐतिहासिक अष्टभुजा धाम माता मंदिर है। जो पूरे क्षेत्र का आस्था का केंद्र है उसके समीप इस तरह शराब की दुकान संचालित किया जाना। एक बड़ा सवाल होता है। जिसका कुछ समाजसेवियों ने पुरजोर विरोध भी किया। लेकिन पैसे और ताकत के दम पर यह विरोध बौना साबित हुआ। इसी तरह नईगढ़ी के बाजार स्थित मुख्य मार्ग पर ठेका के जिम्मेदार लोगों के वाहन सड़क पर बेतरतीब खड़े हो जाते हैं। जिससे सड़क पर आए दिन जाम की स्थिति निर्मित होती है। यहां पर तो कई बार दुर्घटनाएं भी घट चुकी है। लेकिन यहां लगने वाले जाम पर ठेकेदार के खिलाफ प्रशासन भी कार्रवाई करने से कतराते है।